न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 20/2016

[illegible] सिंह पुत्र स्व. धुकल सिंह एवं भंवर कंवर उम्र 48 वर्ष जाति राजपूरत निवासी ग्राम [illegible] तहसील लाडनू जिला नागौर हाल निवासी ग्राम कारंगा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... वादी

बनाम

1. बजरंगसिह पुत्र धुकल सिंह एवं भंवर कंवर
2. सरेश कंवर पुत्री स्व0 धुकल सिंह एवं भंवर कंवर
3. तेजपाल सिंह पुत्र दयालसिंह उम्र 26 वर्ष जाति राजपूत
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कारंगा छोटा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजसस्थान
4. तहसीलदार ,फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान ।

.... प्रतिवादीगण

<u>वाद–पत्र बाबत् उद्घोषणा एवं राजस्व रिकार्ड में संशोधन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 का0 अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू0 रा0 अ0 1956</u>

उपस्थित अधिवक्ता

श्री राजकुमार शर्मा – वादी

निर्णय

दिनांकः– 28.02.2018

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी कृषि भूमि ख0नं0 294/1 रकबा 17.81 हैक्टयर, ख0नं0 294/3 रकबा 2.03 हैक्टयर, ख0नं.122 रकबा 3.87 हैक्टयर, ख0नं0 183 रकबा 4.69 हैक्टयर, ख0नं0 296 रकबा 1.26 हैक्टयर, ख0नं0 297 रकबा 0.22 हैक्टयर वाके ग्राम कारंगा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है, उक्त आराजी को आगे इस वाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (seal)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदार पूर्व में देवी सिंह वल्द चतर सिंह राजपूत थे [illegible] सिंह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाना लगते थे उक्त देवीसिंह की एक [illegible] पुत्री भंवर कंवर थी तथा देवी सिंह के कोई पुत्र संतान नहीं थी इस कारण देवी सिंह के [illegible] हिस्से की खातेदारी देवीसिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री भंवर कंवर के नाम बन [illegible] भंवर कंवर के कुल तीन वारिस है जिनमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 भंवर कंवर के पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 2 भंवर कंवर की पुत्री है इस प्रकार स्व. भंवर कंवर के वादी [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अलावा अन्य कोई वारिस या उत्तराधिकारी नहीं है।

[illegible] भंवर कंवर के नाम से ख0 नं0 294/1 रकबा 17.81 हैक्टयर, ख0 नं0 294/3 रकबा [illegible] हैक्टयर में भंवर कंवर का हिस्सा 3.3798 हैक्टयर एवं शेष भूमि ख0 नं0 [illegible] 296 एवं 297 में भंवर कंवर के नाम से 1/3 हिस्से कि खातेदारी बनी है चूंकि भंवर कंवर की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है जिसकी पुष्टि वारिस प्रमाण पत्र दिनांकित 21/05/15 जो ग्राम पंचायत सावरोद (नागौर) द्वारा जारी किया गया है से होती है इस कारण भंवर कंवर के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 अपने नाम खातेदारी बनवाने के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 3 का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है किन्तु वह अपने आप को देवीसिंह का दत्तक पुत्र बताता है जबकि स्व0 देवी सिंह के कोई भी दत्तक पुत्र नहीं था तथा ना ही देवी सिंह ने किसी को दत्तक लिया था यदि देवी सिंह के दत्तक पुत्र होता तो देवी सिंह की विरासत भरी गई तब ही सामने आ जाता किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 झूठा दत्तक पुत्र बनकर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम बनवाने तथा वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी की दिनांक 10/02/2016 से धमकियां दे रहा है। तथा एलानिया धमकी दे रहा है कि वह वादग्रस्त खेत में अपने नाम से खातेदारी बनवायेगा तथा फिर बेचान कर देता यदि प्रतिवादी संख्या 3 अपने उक्त कुउद्धेश्य में सफल हो गया तो वादी को ऐसी असीम क्षति पहुंचेगी जिसकी पूर्ति धन के रुप में नहीं हो सकेगी इस कारण प्रतिवादी संख्या 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है तदहेतु वाद–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 3 व 4 डिक्री जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि ख0नं0122 रकबा 3.87 हैक्टेयर, ख0नं0 183 रकबा 4.69 हैक्टयर, ख0नं0 296 रकबा 1.26 हैक्टयर, ख0नं0 297 रकबा 0.22 हैक्टेयर वाके ग्राम कारंगा छोटा में भंवर कंवर पुत्री देवी सिंह हिस्सा 1/3 एवं ख0नं0 294/1 रकबा 17.81 हैक्टयर, ख0नं0 294/3 रकबा 2.03 हैक्टयर, में से भंवर कंवर पुत्री देवीसिंह का हिस्सा 3.3798 हैक्टयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम उद्घोषित किया जावे तथा इसी अनुरुप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे की वो वादग्रस्त भूमि वर्णित मद संख्या 1 में वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें तथा विक्रय आदि नहीं करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

<u>आदेश</u>

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादीगण [illegible] व वादी के मध्य राजीनामा पेश किया गया। प्रति. सं. 3 बावजूद तामील के हाजिर नहीं होने के कारण प्रति. सं. 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली का [illegible] अवलोकन किया गया एवं मनन किया गया। अतः वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम [illegible] छोटा की भूमि खसरा नम्बर 294/1 रकबा 17.81है0, खसरा नम्बर 294/3 रकबा [illegible]है0 , खसरा नम्बर 122 रकबा 3.87है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 4.69है0, खसरा नम्बर 296 रकबा 1.26है0, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.22है0 में से भंवर कंवर पुत्री देवी सिंह का हिस्सा 3.3798है0 की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम उदघोषित किये जाने तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। [illegible] खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी..................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास ________रेनु मीणा (आर.ए.एस..)...

रेवन्त सिह पुत्र स्व. धुकल सिंह एवं भंवर कंवर उम्र 48 वर्ष जाति राजपूरत निवासी ग्राम दताउ तहसील लाडनू जिला नागौर हाल निवासी ग्राम कारंगा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... वादी

बनाम

1. बजरंगसिह पुत्र धुकल सिंह एवं भंवर कंवर
2. सरेश कंवर पुत्री स्व0 धुकल सिंह एवं भंवर कंवर
3. तेजपाल सिंह पुत्र दयालसिंह उम्र 26 वर्ष जाति राजपूत
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कारंगा छोटा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजस्स्थान
4. तहसीलदार ,फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान ।

.... प्रतिवादीगण

वाद–पत्र बाबत् उद्घोषणा एवं राजस्व रिकार्ड में संशोधन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 का0 अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू0 रा0 अ0 1956

मुकद्दमा नं.....20.............................सन्....2016...

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे...

व हाजिरी...श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम कारंगा छोटा की भूमि खसरा नम्बर 294/1 रकबा 17.81है0, खसरा नम्बर 294/3 रकबा 2.03है0 , खसरा नम्बर 122 रकबा 3.87है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 4.69है0, खसरा नम्बर 296 रकबा 1.26है0, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.22है0 में से भंवर कंवर पुत्री देवी सिंह का हिस्साा 3.3798है0 की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम उदघोषित किये जाने तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निज........– ....गुबलिग..................–.......................बाबत..........................–.....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह..................–..............................फीसदी सालाना आज की तारीख से

उपखण्ड अधिकारी

[illegible] का अदा करें।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....28.....माह .....फरवरी..........सन् 2018 को जारी किया गया।

दस्तखत..

ओहदा........................ उपखण्ड अधिकारी [illegible]

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	3		स्टाम्प अर्जी दावा	—	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	—	
मीजान	4			—	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।